प्रपत्र-क (12)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना

संचिका सं0– टी 2/एम0 ई0 एस0– 01/2016–933 पटना, दिनांक–18/3/2016
प्रेषक,

गोपाल मीणा (भा0 प्र0 से0)
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1)– मो0 अब्बूथल्हा,
अध्यक्ष, सोसाईटी फॉर सोशल अपलिफमेन्ट,
वास्ते एन0एच0– 31, गेड़वाड़ी चौक,
पो0+थाना– कोराहा, जिला–कटिहार–854108

(2)– मो0 अब्बूथल्हा,
अध्यक्ष, सोसाईटी फॉर सोशल अपलिफमेन्ट,
ई0–2/317, गली नम्बर–8, पॉचवॉ पुस्त सोनिया विहार,
दिल्ली– 94,

विषय– वी0टी0पी0 की जॉच प्रतिवेदन संदेहास्पद पाये जाने के कारण स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के तहत वी0टी0पी0 संस्था सोसाईटी फॉर सोशल अपलिफमेन्ट, मिरचरवाड़ी चौक, पो0+थाना–कोराहा, जिला– कटिहार– 854108 जिसका T/VTP/N/ 89083 का निरीक्षण जॉच प्रतिवेदन को भलीभॉति नार्म्स के अनुरूप जॉचोपरान्त संदेहास्पद पाये जाने के फलस्वरूप निदेशालय पत्रांक–383 दिनांक–29–01–2016 के द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण कराया गया जिसे यह ज्ञात हुआ कि संबंधित संस्था उस स्थल पर कभी संचालित ही नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित वी0टी0पी0 द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर वी0टी0पी0 के रूप में स्थायी पंजीकरण करने का प्रयास किया गया है।

इस संबंध में क्यों नहीं समझा जाए कि आपके द्वारा गलत तरीके से सरकारी योजना का अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया ? क्यों नहीं आपके एवं आपके संस्था के विरूद्ध इस कुकृत्य कार्य के लिए प्राथमिकी दर्ज कर दी जाये ?

अतएव इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन
18/03/16
(गोपाल मीणा)
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी 2/एम0 ई0 एस0– 01/2016–1078 पटना, दिनांक– 5/4/2016

प्रतिलिपिः– (1)– राज्य में संचालित सभी संबंधित वी0टी0पी/आवेदित वी0टी0पी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2)– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेवसाईट पर कृपया इसे अपलोड कर दें।

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।